From No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जसवीर बनाम उत्तमसिंह वगै0

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज प्रार्थना पत्र –212 संख्या 94 /वर्ष 2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। एकपक्षीय उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 08.07.2019 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 29/0.46 वाके ग्राम अलावलपुर तहसील तिजारा जिला अलवर पर आगामी दिनांक 08.07.2019 तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद **Absolute** कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पो0 रसीद आगामी पेशी तक पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो। [signature] 07/06/19 उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)	

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत...गोकडा........
प्रसंग................दिनांक...18/11/2021

18/11/21 पत्रावली आज कैम्प मे पेश हुई। वादी का वाद वादी के प्रार्थना पत्र पर खारिज हो चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो संलग्न मूलवाद हो।